प्रेस नोट ***जनपद संतकबीरनगर*** ***दिनाँक 07.11.2026***

मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा ***श्री मनीष जायसवाल*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 06.11.2026 को मु0अ0सं0 109/2026 धारा 137(2), 70(2) बीएनएस तथा 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना धर्मसिंहवा से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. एजाज अहमद पुत्र उजैर अहमद निवासी बरगदवा अंसारी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर 02. रईसुल हसन पुत्र मोहम्मद साजिद निवासी बरगदवा अंसारी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को धर्मसिंहवा बाजार तिराहे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 17.09.2026 को थाना धर्मसिंहवा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के घर से कहीं चले जाने तथा काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष श्री मनीष जायसवाल, का0 राजन सिंह, का0 दीपक खरवार, का0 श्यामल सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 342 वाहनों से 450,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 07.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 342 वाहनों से450,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।